भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1184
11.12.2023 को उत्तर के लिए

मृदा अपरदन

1184. डॉ. ए. चेल्लाकुमार :
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :
श्री बैन्नी बेहनन :
डॉ. मोहम्मद जावेद :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में मृदा के एक बड़े भाग को अवक्रमित माना जाता है;
(ख) सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या नीतियां, योजनाएं बनाई गई हैं अथवा अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने खुले मुहाने वाली खानो में खनन के प्रभावों को कम करने और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त अपशिष्ट निपटान को बढ़ाना देने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारत में अवक्रमित भूमियों के मानचित्रण (2018-2019) से स्पष्ट होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 97.85 मिलियन हेक्टेयर (29.77%) क्षेत्र में भू-क्षरण हो रहा है।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि सुरक्षा और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम), प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत वनीकरण कार्यकलापों जैसी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/पहलों और कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत भू-क्षरण के मुद्दे का समाधान किया गया है, और उनका उपयोग पूरे देश में

वनाच्छादन में वृद्धि करने हेतु किया गया है। वृक्षारोपण/वनीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, देश में वर्षा-सिंचित और अवक्रमित भूमियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जलसंभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित करता है। इसके अंतर्गत संचालित कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिज क्षेत्र शोधन, जल निकासी प्रणाली का शोधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, चारागाह का विकास, परिसंपत्ति-हीन लोगों के लिए आजीविकाएं आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का उद्देश्य इन कार्यकलापों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाकर और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर ढंग से अनुकूलित करके संधारणीय विकास को सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ): खनन कार्य आरंभ करने से पहले, सभी खानों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके लिए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) संचालित किया जाता है और तदनुसार सभी सुरक्षा उपायों के साथ एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है। वनों में खनन कार्य की अनुमति प्रदान करते समय, यह मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मामला-दर-मामला के आधार पर उचित उपशमन उपायों सहित विभिन्न निबंधन और शर्तें निर्धारित करता है, जैसे- प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान, मिट्टी और आर्द्रता के संरक्षण की योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सुरक्षा जोन प्रबंधन, भूमि को फिर से भरने की योजना आदि।

(ड.): ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्षा-सिंचित/अवक्रमित भूमियों के लिए जलसंभर विकास से संबंधित कार्यकलापों को भी कार्यान्वित करता है और इसके लिए एक 'विकेंद्रित राज्य स्तरीय आयोजना और परियोजनाबद्ध निष्पादन' कार्यढांचे को अपनाता है।

*****